इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26]   भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 जून 2017—आषाढ़ 9, शक 1939

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 जून 2017

क्र. 474-539-2017-बी-16.—वेतन भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का 1) द्वारा यथा संशोधित वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 (1936 का 4) की धारा 6, में प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, विनिर्दिष्ट करती है कि किसी कारखाने के नियोजक या उनके ठेकेदारों द्वारा नियोजित व्यक्तियों को वेतन मात्र चेक द्वारा अथवा उनके बैंक खाते में जमा द्वारा संदाय किया जायेगा.

यह अधिसूचना मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगी.

No. 474-539-2017-B-XVI.—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936) as amended by the Payment of Wages (Amendment) Act, 2017 (1 of 2017), the State Government, hereby, specifies that the employers of any factory or their contractors shall pay the wages to the persons employed by them only by cheque or by crediting the wages in their bank accounts.

This notification shall come into effect from the date of its publication in the official Gazette of Madhya Pradesh.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मिलिन्द गणवीर, अवर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.